उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या: — /VII-2-18/146–एम0एस0एम0ई0/2013
देहरादून: दिनॉक: 06 जुलाई, 2018

कार्यालय–ज्ञाप

उत्तराखण्ड राज्य में सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश को बढ़ावा देने, रोजगार के अवसरों के सृजन की सम्भावनाओं को देखते हुए पर्यटन को विधिवत उद्योग का स्तर तथा राज्य के कर राजस्व में अभिवृद्धि करने के दृष्टिगत सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा दिये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या:–184/VII-2/15–146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–31.01.2015, कार्यालय ज्ञाप संख्या:–544/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–22.03.2016 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या:–848/VII-2-16/146–एम0एस0एम0ई0/2013, दिनांक–22.04.2016 द्वारा प्रख्यापित **"उत्तराखण्ड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015"** तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या:–1313/**VII-2-18/146**–एम0एस0एम0ई0/**2013** दिनांक 06 जुलाई, 2018 में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों एवं अन्य सुविधाओं का सम्पूर्ण लाभ पर्यटन क्षेत्र के उद्योगों को अनुमन्य होगा।

इसकी अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात पर्यटन उद्योग के रूप में गतिविधियों/कियाकलापों के अभिज्ञापन हेतु पर्यटन विभाग राज्य की आवश्यकताओं तथा वर्तमान परिवेश के अनुरूप गतिविधियां/कियाकलापों का चिन्हीकरण कर विधिवत इसकी अधिसूचना जारी करेगा, ताकि पर्यटन विभाग द्वारा अधिसूचित पर्यटन गतिविधियों/कियाकलापों को राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/नीतियों में सेवा क्षेत्र के उद्यमों को प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहन सुविधाओं का लाभ अनुमन्य हो सके।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1315 /**VII-2-18**/146–एम0एस0एम0ई0/2013, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1 सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2 अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3 निजी सचिव–मा0 मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड सरकार।
4 मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5 अपर मुख्य सचिव एवं स्थापना विकास आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
6 अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
7 समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8 प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
9 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10 महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11 प्रबंध निदेशक, सिडकुल, देहरादून।
12 मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
13 मुख्य निवेश आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
14 निदेशक, राज्य मुद्रणालय, रूड़की को आगामी संस्करण गजट में प्रकाशनार्थ।
15 समस्त क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीयकृत बैंक, उत्तराखण्ड।
16 एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
17 गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।